②

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 57 / 2018

बउनवान

गोविन्द आयु 60 वर्ष पुत्र फूलचन्द जाति–मीणा निवासी–भटवाडा तहसील मॉगरोल, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

**निर्णय दिनांक– 16.09.2019**

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1376 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म–बजंड पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 640 / –रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई जवाबदेही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, अपीलांट मौके से कब्जा छोड चुका है। उसके विरूद्व कोई सरकारी तावान राशि भी बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:28 IST
Reason: SelfAttested

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में फर्द दस्तावेज पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 1376 रकबा 0.48 है0 उसके खातेदारी की आराजी है।

जिला कलक्टर

अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। विवादित आराजी की हल्का पटवारी के स्तर पर कोई पैमाइश नहीं कर रखी है। खातेदारी आराजी को सरकारी मानकर हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अपीलांट को पश्चात्त्‌र्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 68/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने कथन है कि इसी खसरा नम्बर 1376 में 0.48 है0 उनके खातेदारी की भूमि है, जो उचित प्रतीत होती है। किन्तु प्रश्नगत आराजी जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है, अलग भूमि है तथा वर्तमान में सरकारी बजंड राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी आधार पर अतिचारी पाये जाने के फलस्वरूप हीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 185/18 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.05.17 11:52:28 IST
Reason: SelfAttested

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)